फर्द अहकाम

न्यायालय

पेमाराम बनाम दशरथ सिंह

मुकदमा संख्या / वर्ष : 54/21 / 20
वाद

क्र स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/08/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08/08/22 को पेश हो। [signature]	
	08/8/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 12/8/22 को पेश हो। [signature]	
	12/8/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22/8/22 को पेश हो। [signature]	
	22/8/22	पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं उप.। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उप.। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रा. पत्र दुर्केजात का जवाब नहीं दिया जाकर सीधी बहस करनी चाही। वादी द्वारा प्रा. पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मुझे रास्ते की आवश्यकता नहीं है उक्त दुर्केजात में रास्ता दर्शाया गया है पूर्व में लेजे गये दुर्केजात [illegible] जिस कारण उक्त दुर्केजात दिनांक 04[illegible] को निरस्त किया जाकर [illegible] मंगवाये जाये। प्रतिवादी [illegible] द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त दुर्केजात सली प्रकाशराम के रहवास, रास्ते को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत किये गये है उक्त प्रा. पत्र प्रकरण में प्रार्थी वादी द्वारा देरी ना करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जिस कारण उक्त प्रा.पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:39:18 IST
Reason: SelfAttested

क्र स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रकरण में खारिज फरमाया जाकर अंतिम डिक्री की जावे। प्रा. पत्र व कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। वर्तमान कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04/7/22 व पूर्व की प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रार्थी वादी की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है उक्त कुर्रेजात के मुताबिक आदेश सभी का तकासमा किया जाकर सभी पक्षकारान को सुविधानुसार रास्ता दिया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04/7/22 पेश की गयी है जिस अनुसार प्रार्थी वादी का प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारीज फरमाया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी वादी का प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज फरमाया जाकर उक्त वाद अंतिम डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी हो। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार चौमू को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर [illegible] हो। दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:39:18 IST
Reason: SelfAttested

मु०सं०–42 / 21
उनवान–पेमाराम बनाम दशरथ वगै०
निर्णय दिनांक–22.08.2022

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा खेतान (R.A.S.)

उनवान

पेमाराम पुत्र रामलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम कीरतसिंह का बास, ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. दशरथ सिंह पुत्र मंगेज सिंह
2. दपु कंवर पत्नी मंगेज सिंह
3. नन्दू सिंह पुत्र मंगेज सिंह
4. नमिता कंवर पुत्री पृथ्वीसिंह
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
6. नवल सिंह पुत्र इन्दर सिंह
7. पान कंवर पत्नी पृथ्वी सिंह
8. बलवीर सिंह पुत्र मंगेज सिंह
9. मुकेश सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
10. राजेश कंवर पुत्री मंगेज सिंह
11. लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगेज सिंह
12. शिम्भू सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
    समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम कीरत सिंह का बास, तहसील चौमूं, ज़िला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. उपतहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ, जिला जयपुर।
15. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. यूको बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (हाल एसबीआई) जरिये शाखा [illegible] शाखा गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी–

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kh
Date: 2022.12.19 12:39:18 IS
Reason: SelfAttested

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–42 / 21

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी एवं वकील प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू सुश्री सीमा खेतान आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–42/21
उनवान–पेमाराम बनाम दशरथ वगै0
निर्णय दिनांकः–22.08.2022

वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुड़लिया, भू0अ0क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 35 के खसरा नम्बर 820 रकबा 2.24 है0, खसरा नम्बर 821 रकबा 2.41 है0, खसरा नम्बर 824 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 825 रकबा 3.77 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 8.43 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता हैः–

1. पेमाराम पुत्र रामलाल, जाति अहीर, सा0 देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा ढोढ़सर के हिस्से में खसरा नं0 820/1 रकबा 2.1300 है0, खसरा नं0 825/1 रकबा 0.3500 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शायी गई है।
2. नवलसिंह पुत्र इन्दरसिंह, जाति राजपूत, सा0 देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नं0 825/2 रकबा 2.8550 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 2.8550 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
3. दपुकंवर पत्नि मंगेजसिंह, बलबीरसिंह, राजेशकंवर पिता मंगेजसिंह हिस्सा 3/7 बिलारहन दशरथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता मंगेजसिंह हिस्सा 2/7 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नन्दुसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा 1/7 राहिन यूको बैंक शाखा ढोढ़सर, नरेन्द्रसिंह, मुकेशसिंह, शिम्भूसिंह पिता पृथ्वीसिंह, पानकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह हिस्सा 4/35 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नमिताकंवर पुत्री पृथ्वीसिंह हिस्सा 1/35 बिलारहन, जाति राजपूत, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 821/1 रकबा 0.4100 है0, खसरा नं0 821/3 रकबा 1.9250 है0, खसरा नं0 825/3 रकबा 0.5200 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 2.8550 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
4. दपुकंवर पत्नि मंगेजसिंह, बलबीरसिंह, राजेशकंवर पिता मंगेजसिंह हिस्सा 3/14 बिलारहन दशरथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता मंगेजसिंह हिस्सा 2/14 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नन्दुसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा 1/14 राहिन यूको बैंक शाखा ढोढ़सर, नरेन्द्रसिंह, मुकेशसिंह, शिम्भूसिंह पिता पृथ्वीसिंह, पानकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह हिस्सा 2/35 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नमिताकंवर पुत्री पृथ्वीसिंह 1/70 बिलारहन नवलसिंह पुत्र इन्दरसिंह हिस्सा 1/2 राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़, जाति राजपूत, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 824 रकबा 0.0100 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
5. दपुकंवर पत्नि मंगेजसिंह, बलबीरसिंह, राजेशकंवर पिता मंगेजसिंह हिस्सा 69/462 बिलारहन दशरथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता मंगेजसिंह हिस्सा 46/462 राहिन आरएमजीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema
Date: 2022.12.19 12:39:18
Reason: SelfAttested

मु0सं0–42/21
उनवान–पेमाराम बनाम दशरथ वगै0
निर्णय दिनांक–22.08.2022

शाखा गोविन्दगढ़, नन्दुसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा 23/462 राहिन यूको बैंक शाखा ढोढ़सर, नरेन्द्रसिंह, मुकेशसिंह, शिम्भूसिंह पिता पृथ्वीसिंह, पानकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह हिस्सा 92/2310 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नमिताकंवर पुत्री पृथ्वीसिंह हिस्सा 23/2310 बिलारहन नवलसिंह पुत्र.इन्दरसिंह हिस्सा 23/66 राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़, जाति राजपूत, पेमाराम पुत्र रामलाल हिस्सा 10/33 राहिन यूको बैंक शाखा ढ़ोढ़सर, जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 820/2 रकबा 0.1100 है0, खसरा नं0 821/2 रकबा 0.0750 है0, खसरा नं0 825/4 रकबा 0.0450 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.2300 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 22.08.2022 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर
ओहदा ....
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:39:18 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–42/21
उनवान–पेमाराम बनाम दशरथ वगै0
निर्णय दिनांक:–22.08.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा खेतान (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–42/21

उनवान

पेमाराम पुत्र रामलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम कीरतसिंह का बास, ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. दशरथ सिंह पुत्र मंगेज सिंह
2. दपु कंवर पत्नी मंगेज सिंह
3. नन्दू सिंह पुत्र मंगेज सिंह
4. नमिता कंवर पुत्री पृथ्वीसिंह
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
6. नवल सिंह पुत्र इन्दर सिंह
7. पान कंवर पत्नी पृथ्वी सिंह
8. बलवीर सिंह पुत्र मंगेज सिंह
9. मुकेश सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
10. राजेश कंवर पुत्री मंगेज सिंह
11. लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगेज सिंह
12. शिम्भू सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
    समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम कीरत सिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. उपतहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ, जिला जयपुर।
15. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. यूको बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (हाल एसबीआई) जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kheta
Date: 2022.12.19 12:39:18 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 2_.__.2022

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित। पत्रावली में वादी द्वारा विवादित आराजियात् के संबंध में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 पर ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसका लिखित जवाब ना दिया जाकर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा सीधी बहस की गई तथा निवेदन किया गया कि

मु0स0–42/21
उनवान–पेमाराम बनाम दशरथ वगै0
निर्णय दिनांक–22.08.2022

उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सभी पद्वक्षकारान के रहवास, मकानात व रास्ते की सुविधा के अनुसार बनाई गई है। उक्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा महज प्रकरण में देरी करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर प्रकरण में मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 के अंतिम डिक्री फरमायी जावे। प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में वादी के हिस्से की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट का खारिज किया जाता है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 के वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुड़लिया, भू0अ0क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 35 के खसरा नम्बर 820 रकबा 2.24 है0, खसरा नम्बर 821 रकबा 2.41 है0, खसरा नंम्बर 824 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 825 रकबा 3.77 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 8.43 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. पेमाराम पुत्र रामलाल, जाति अहीर, सा0 देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा ढोढ़सर के हिस्से में खसरा नं0 820/1 रकबा 2.1300 है0, खसरा नं0 825/1 रकबा 0.3500 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 2.4800 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शायी गई है।
2. नवलसिंह पुत्र इन्दरसिंह, जाति राजपूत, सा0 देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नं0 825/2 रकबा 2.8550 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 2.8550 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्[illegible] जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
3. दपुकंवर पत्नि मंगेजसिंह, बलबीरसिंह, राजेश[illegible] जीबी बिलारहन दशरथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता मंगेजसिंह हिस्सा 2/7 राहिन [illegible] शाखा गोविन्दगढ़, नन्दुसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा 1/7 राहिन यूको [illegible] शाखा ढोढ़सर, नरेन्द्रसिंह, मुकेशसिंह, शिम्भूसिंह पिता पृथ्वीसिंह, पानकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह हिस्सा 4/35 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नमिताकंवर पुत्री पृथ्वीसिंह हिस्सा 1/35 बिलारहन, जाति राजपूत, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 821/1 रकबा 0.4100 है0, खसरा नं0 821/3 रकबा 1.9250 है0, खसरा नं0 825/3 रकबा

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kheta
Date: 2022.12.19 12:39:18 IST
Reason: SelfAttested

0.5200 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 2.8550 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

4. दपुकंवर पत्नि मंगेजसिंह, बलबीरसिंह, राजेशकंवर पिता मंगेजसिंह हिस्सा 3/14 बिलारहन दशरथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता मंगेजसिंह हिस्सा 2/14 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नन्दुसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा 1/14 राहिन यूको बैंक शाखा ढोढ़सर, नरेन्द्रसिंह, मुकेशसिंह, शिम्भूसिंह पिता पृथ्वीसिंह, पानकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह हिस्सा 2/35 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नमिताकंवर पुत्री पृथ्वीसिंह हिस्सा 1/70 बिलारहन नवलसिंह पुत्र इन्दरसिंह हिस्सा 1/2 राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़, जाति राजपूत, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 824 रकबा 0.0100 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

5. दपुकंवर पत्नि मंगेजसिंह, बलबीरसिंह, राजेशकंवर पिता मंगेजसिंह हिस्सा 69/462 बिलारहन दशरथसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता मंगेजसिंह हिस्सा 46/462 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नन्दुसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा 23/462 राहिन यूको बैंक शाखा ढोढ़सर, नरेन्द्रसिंह, मुकेशसिंह, शिम्भूसिंह पिता पृथ्वीसिंह, पानकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह हिस्सा 92/2310 राहिन आरएमजीबी शाखा गोविन्दगढ़, नमिताकंवर पुत्री पृथ्वीसिंह हिस्सा 23/2310 बिलारहन नवलसिंह पुत्र इन्दरसिंह हिस्सा 23/66 राहिन एसबीबीजे शाखा गोविन्दगढ़, जाति राजपूत, पेमाराम पुत्र रामलाल हिस्सा 10/33 राहिन यूको बैंक शाखा ढोढ़सर, जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 820/2 रकबा 0.1100 है0, खसरा नं0 821/2 रकबा 0.0750 है0, खसरा नं0 825/4 रकबा 0.0450 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.2300 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:39:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूं